राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

सोमवार,

दिनांक 15 मार्च, 1971

विधान सभा की बैठक म० प० 4-17 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सचिव ।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

(अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखी गई) ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री अध्यक्ष : शोक प्रस्ताव ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन के पिछले सत्र के बाद दुर्भाग्य से हमारे सदन के तीन माननीय सदस्य आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, श्री शीशराम पूनिया की राजगढ़ स्टेशन से जाते हुए हत्या करदी गई और एक नौजवान, उत्साही और इस सदन में भी कामकाज में काफी रुचि लेने वाले व्यक्ति को हमारे बीच में से उठा लिया गया । उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रगट करता हूं और उनकी आत्मा को शांति मिले—यह परमात्मा से प्रार्थना करता हूं ।

इसी प्रकार किशनगढ़ से चुन कर आने वाले महाराजा किशनगढ़, श्री सुमेरसिंह का भी कुछ ही अर्से पहले हत्या कर देने के कारण असामयिक अवसान हुआ । उससे सभी इस सदन के सदस्य और दूसरे क्षुब्ध हैं, गहरी चोट पहुंची है । वह मिलनसार, मृदु भाषी, और संगीत-कला, खेल-कूद वगैरह में काफी रुचि लेने वाले व्यक्ति थे और हमारे यहां की कमेटी के सदस्य के तौर पर उनका योगदान रहा ।

उनके लिए भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं ।

जोधपुर से चुनकर आने वाले श्री सोमदत्त भाटी भी आज हमारे बीच

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में नहीं हैं और उनका भी अचानक देहावसान हो गया। वह भी हमारे सदन में समय समय पर रुचि लेते रहते थे। उनकी वजह से भी इस सदन के अंदर एक अभाव हुआ है। उनके प्रति भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

हमारे इस सदन में 1952 में बीकानेर क्षेत्र से श्री जसवंतसिंहजी चुनकर आए थे और उस समय विरोधी दल के नेता थे उस से पूर्व जब राजस्थान बना तो वे मंत्री पद पर रहे थे। उनका भी कुछ समय पहले देहावसान हो गया है। उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इसी प्रकार हमारे सदन में 1952 में मोहम्मद इब्राहिम जो चुनकर आए थे, उनका भी कुछ समय पहले देहावसान हो गया है। उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और श्री किशनारामजी जो इस सदन के सदस्य रहे थे और इस चुनाव के अंदर भी खड़े हुए थे, उनका भी अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहावसान हो गया, उनके लिए भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस प्रकार आज कम समय में जो 5 व्यक्ति इस सदन के सदस्य थे या पहले रहे थे, उनके देहावसान की वजह से, आज हम सब के समक्ष एक शोक की स्थिति उत्पन्न हुई है और उन सब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सब के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, जिन संदिग्ध वातावरण में और शकिया वजूहात में महाराजा किशनगढ़, श्री सुमेरसिंह की निर्मम हत्या हुई है, उससे मेरे दल में शोक और रोष छा गया। इस सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए, मैं किसी अन्य उपयुक्त समय पर इस संबंध में इस सदन के समक्ष मेरा कथन प्रस्तुत करूंगा।

महाराजा सुमेरसिंहजी एक लोकप्रिय नेता थे। कई हजार वोटों से विजय प्राप्त करके इस सदन के सम्माननीय सदस्य भी चुने गए थे। उनका संबंध मेरे साथ घनिष्ठ था। वह सद्गृहस्थ थे। उनके असामयिक निधन से राजस्थान के राजघरानों में एक खामी पड़ गई। महाराजा सुमेरसिंहजी एक अच्छे खिलाड़ी थे, खास तौर से टेनिस और हॉकी में। वे कला प्रेमी थे और अतिथि सत्कार में उनकी विशेष अभिरुचि थी। उनकी मृत आत्मा के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले।

श्री ओम दत्त माटी इस सदन के एक योग्य सदस्य थे। वे कुशल चिकित्सक थे और उन्होंने अपने त्याग और सेवा के द्वारा जोधपुर में अपने आप को बहुत लोकप्रिय बनाया था। उनके आकस्मिक निधन से विरोधी पक्ष को क्षति पहुंची है।

श्री शीशरामजी पूनिया इस सदन के सम्माननीय सदस्य थे और जिस तरह से उनकी हत्या हुई है वह एक बड़ा गंभीर विषय है और इस हत्या से मेरा दल ही चिंतित नहीं है अपितु मैं समझता हूं, सारा सदन चिंतित है। हिंसा और लोकतंत्र

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की अनबन है, हिंसा के साथ लोकतंत्र नहीं चल सकता। श्री शीशराम एक कर्मठ सदस्य थे और कांग्रेस के दृढ़प्रतिज्ञ सम्माननीय सदस्य थे।

श्री जसवंतसिहजी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं जब से वह बनारस विश्वविद्यालय में फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री पाकर पास हुए। उन्होंने भूतपूर्व बीकानेर राज्य की प्रशंसनीय, चिरस्मरणीय सेवायें कीं और वे महान् कुशल राजनीतिज्ञ और प्रशासक स्वर्गीय महाराजा गंगासिहजी के प्राईवेट सेक्रेटरी भी रहे हैं। भूतपूर्व नरेन्द्र मंडल में उन्होंने प्रशंसनीय काम किया। उस समय भी मैंने उनके साथ 7–8 वर्ष तक काम किया। वे प्रथम विधान सभा के विरोधी पक्ष के नेता थे और परिपक्व अवस्था में निधन के कारण बीकानेर क्षेत्र ही नहीं लेकिन राजस्थान में एक योग्य प्रशासक हमारे बीच से उठ गया। उनकी दिवंगत आत्मा की चिरशांति के लिए मैं कामना करता हूं।

o

श्री मोहम्मद इब्राहिम इस सदन के प्रथम विधान सभा के सम्माननीय सदस्य थे। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से अपरिचित हूं लेकिन क्योंकि वह इस सदन के सदस्य थे, मेरा कर्त्तव्य है कि उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं। सभी मृतात्माओं की चिरशान्ति के लिये कामना करते हुए उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी और मेरे दल की ओर से संवेदना और सहानुभूति प्रकट करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, चार महीने की अवधि में संभवतः यह पहला अवसर है जब एक साथ इस सदन के तीन माननीय सदस्यों के निधन पर श्रद्धान्जलि अर्पित कर रहे हैं।

डॉ० ओमदत्तजी भाटी की स्वाभाविक मृत्यु हुई। किन्तु श्री सुमेरसिंहजी और शीशरामजी पूनिया की सार्वजिनक स्थानों पर हत्या–यह अत्यन्त दुखद विषय और गम्भीर दिशा की ओर संकेत है। सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की स्थिति होती है यह सदन के सब ही माननीय सदस्यों के लिये चिन्ता का विषय है। तीन माननीय सदस्यों का हमारे बीच में से चार महीने की अवधि में चले आना एक प्रकार से हमारे ऊपर बड़ा वज्र प्रहार है।

प्रथम विधान सभा के माननीय सदस्य, श्रीयशवन्तसिहजी एवं मौलाना इब्राहिम, और द्वितीय विधान सभा के सम्माननीय सदस्य श्री किशनाराम जी का देहावसान हो गया।

इन सब के ही संबंध में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उन सब ही मृतात्माओं को श्रद्धान्जलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और साहस मिले यही प्रार्थना करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के दो माननीय सदस्यों की हत्या के समाचार अखबारों में पढ़ने को मिले उन से मन को उस प्रकार का विश्वास नहीं हुआ। शीशरामजी पूनिया को मैं व्यक्तिशः जानता था। उनकी हत्या

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

और महाराजा सुमेरसिंहजी की जिन परिस्थितियों में हत्या हुई उन समाचारों को पढ़ कर मैं स्तब्ध रह गया। मेरा किशनगढ़ के महाराजा से व्यक्तिगत संपर्क रहा है। दो-तीन बार मैं किशनगढ़ भी गया। और अलवर में महाराजा साहब आते थे और कई बार मैं उनके मकान पर भी गया और काफी उनसे सम्पर्क रहा। उनकी हत्या से कुछ समय पहले ही महाराज कुमार साहब उनको चुनाव में खड़ा करने के लिये गये थे। हम सब ही सदन के माननीय सदस्यों को उनकी इस प्रकार नृशंस हत्या से गहरा दुख हुआ है और हमारे दल का सदस्य इस प्रकार हमारे बीच से उठ जाय इससे अधिक और क्या गहरा शोक हो सकता है।

डॉ० ओमदत्तजी माटी इस सदन के काफी लोकप्रिय सदस्य थे और जोधपुर से काफी वोटों से जीत कर आये थे और उनकी जो स्वाभाविक मृत्यु हुई उससे सबको ही दुख पहुंचा है।

मौलाना इब्राहिम प्रथम विधान सभा के सदस्य थे। उन दिनों की मुझे वह घटना याद है जब अलवर स्टेट में ड्यूटी (कर) लगाया गया था। उसके खिलाफ आन्दोलन हुआ मौलाना इब्राहिम, मैं और शोभारामजी तीनों ही उस समय मिलिट्री के बीच में खड़े थे, मौलाना इब्राहिम को पकड़ कर पीटा और उनका घुटना तोड़ दिया और उसके कारण वे बहुत दिनों तक अस्पताल में पड़े रहे। जब दूसरी बार मौका आया तो उन्होंने मिलिट्री को चुनौती दी कि मुझे मार दो तो मिलिट्री वाले स्तब्ध रह गये। वे कामां से जीत कर आये। उनकी लकवे से मृत्यु हुई। उनको भी मैं और मेरा दल श्रद्धान्जलि अर्पित करते हैं।

माननीय श्री जसवन्तसिंहजी इस विधान सभा में विरोधी पक्ष के लीडर थे। मेरी उनके साथ कई बार विधान सभा में झड़पें हुआ करती थीं। वे अच्छे लोकप्रिय व्यक्ति थे और अच्छे वक्ता थे।

माननीय किशनारामजी को भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई।

इन सब ही मृतात्माओं को मेरी और मेरे दल की ओर से श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और उनकी चिरशान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, श्री सुमेरसिंह जी, शीशरामजी और ओमदत्त जी के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से प्रस्ताव आया उसका मैं अनुमोदन करता हूं।

मैं समझता हूं कि चिन्ता की यह बात है कि सदन के दो माननीय सदस्यों की हत्या कर दी गई। इसके क्या कारण हैं इन पर समय आने पर प्रकाश डाला जायगा। लेकिन ये सब घटनायें सार्वजनिक जीवन के लिये चिन्ता का कारण हैं। मैं, मेरी एवं मेरे दल की ओर से इन मृतात्माओं के प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और उससे पूर्व मौलाना इब्राहिम, किशनारामजी और जसवन्तसिंहजी की मृत्यु के लिये भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन के तीन माननीय सदस्य, डॉ० ओमदत्तजी माटी, श्री शीशरामजी पूनिया और श्री सुमेरसिंहजी हमारे बीच में नहीं रहे। जिन हालतों में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

माननीय श्री शीशरामजी एवं माननीय श्री सुमेरसिंहजी की हत्यायें हुई हैं, वे बहुत ही दुखद और चिन्ताजनक हैं। यह एक चिन्ता का विषय भी है कि सार्वजनिक जीवन में अपने किसी भी विरोधी को हिंसा के जरिये से सामने से हटाया जाय हम इस बात को कभी पसन्द नहीं करते। किन हालातों में इनकी हत्यायें हुईं यह अभी सबजुडिस है और कहा नहीं जा सकती कि किन हालतों में ये घटनायें हुईं। बहरहाल इन की मृतात्माओं को श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

माननीय श्री ओमदत्तजी माटी इस सदन के माननीय सदस्य थे। वे अपनी कोन्स्टिटूएन्सी के लिये विशेष दिलचस्पी रखते थे और इस सदन की चर्चाओं में भी अपना अच्छा योगदान दिया करते थे। उनको भी मैं श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

तीन और महानुभाव, जो इस सदन के सदस्य रहे थे, उनमें से मौलाना इब्राहिम हमारे जिले के होने के नाते, और एक सहयोगी होने के नाते उनसे निकट का सम्बन्ध रहा है। मौलाना इब्राहिम अलवर जिले में प्रजामण्डल के आन्दोलनों में, हिन्दुस्तान की आजादी के आन्दोलनों में, अगुवा काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं में रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि वे एक माइनोरिटी कम्युनिटी से सम्बन्धित होते हुए भी, एक ऐसी कम्युनिटी से सम्बन्धित होते हुए भी, जिसमें बहुत कम शिक्षा थी और उस मेव जाति में उनका कितना सम्मान था, और प्रजामण्डल के मूवमेन्ट में इतना बड़ा योगदान दिया वह अलवर जिले के इतिहास में उनका आगे की पंक्ति में स्थान है। मौलाना इब्राहिम ने, मैं समझता हूं, हमारे जिले में अगर किसी ने भी कष्ट सहे हैं तो उनमें से मौलाना सबसे ज्यादा कष्ट सहने वालों में हैं।

हमें यह भी देखने को मिला कि आजादी के पहले भी उन्होंने कष्ट सहे और आजादी के बाद कांग्रेस में होते हुए भी उनको कष्ट सहने पड़े। उनकी पेट्रोटिज्म पर, देशभक्ति पर कुछ लोगों ने सन्देह व्यक्त करके उनको पाकिस्तानी एजेन्ट बनाने की कोशिश की लेकिन उनकी जो देशभक्ति थी वह सन्देह से परे थी और अन्त तक अलवर की जनता में सम्मान पाते रहे और सभी पार्टी के लोग चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे विरोधी हों, उनके प्रति सम्मान रखते थे और अन्त में उनके देहावसान के अवसर पर उनको पेरेलेसिस हो गया था और उसी हालत में उनका देहावसान हो गया। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

जसवन्तसिंहजी और किशनारामजी जो माननीय सदस्य रहे हैं उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं और जो प्रस्ताव मुख्य मंत्रीजी ने रखा है उसका समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय शीशरामजी ओला क्षमा करें, पूनियाजी को गोली से उड़ा दिया गया तो मुझे यह जानकर बड़ा धक्का लगा कि जनजीवन को क्या कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। वह जवान आदमी थे और बहुत हिम्मत वाले थे और उनको ही गोली से उड़ा दिया गया यह सचमुच खेद की बात है। उनके परिवार वालों के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें बल प्रदान करे ताकि वे इस दुख को सह सकें।

Page No.6

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
जब मैंने महाराजा किशनगढ़ को भी इसी तरह से गोली से उड़ाने की खबर पढ़ी तो मुझे बहुत धक्का लगा। मैं उनके दाह संस्कार में भी शामिल हुआ था और हजारों औरतें, पुरुष विलग विलग कर रो रहे थे उससे ऐसा लगा कि वे कितने उनके प्रिय थे, कितने सरल थे और ये सब लोग कितना उनको चाहते थे। जिस तरह से उनको गोली से उड़ाया गया वह सचमुच ही दुखद घटना है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी माता, पत्नी और उनके बाल-बच्चों को वह शक्ति दे कि वे इस सदमे को सहन कर सकें।

डॉ० भाटी साहब हमारे सदन के बहुत ही निष्ठावान सदस्य थे। अपने डॉक्टरी के पेशे में उन्होंने जो गरीबों की सेवा की उससे सचमुच ही उन्होंने इस पेशे की इज्जत बढ़ाई और यहां जो उन्होंने काम किया वह निष्ठा के साथ किया और सच्चे मायने में वे उच्च लोगों में से थे। उनके जाने से बहुत ही नुकसान हुआ है और जोधपुर के असहाय और गरीब लोगों को उनके जाने से बहुत ही धक्का लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सब को वह बल दे कि हम उनके जाने के सदमे को सह सकें।

जो तीन अन्य माननीय सदस्य हैं: जसवन्तसिंह जी, मौलाना इब्राहिम और किशनारामजी उनके मैंने दर्शन नहीं किय हैं। उनके बारे में जिन जिन से सुना उससे लगा कि वे हमारे थे और यह सचमुच ही दुर्भाग्य की बात है कि वे अब इस संसार में नहीं रहे हैं। मैं इन तीनों के परिवार वालों को भी सान्त्वना देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को वह शक्ति प्रदान करे कि वे इस सदमे को साहस के साथ झेल सकें।

श्री विजयसिंह (मकराना): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होते ही हमें बड़े दुःख के साथ शोक प्रस्तावों पर विचार करना पड़ता है और इस विधान सभा के सत्र में हमें यह पता नहीं था कि हमारे तीन माननीय सदस्यों के लिये हमें यहां पर शोक प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

महाराजा सुमेरसिंह मेरे अत्यन्त ही निकटतम मित्र थे। उनसे मेरे घनिष्ट सम्बन्ध भी थे और शायद कोई ऐसा हफ्ता नहीं निकला हो जिसमें मैंने उनका साथ न दिया हो। वे हमेशा हंसमुख रहा करते थे। उनकी किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं थी और वे भी सभी दल वालों से प्रेम से बात किया करते थे और हर व्यक्ति से अपना रिश्ता बढ़ाने की कोशिश किया करते थे परन्तु अचानक हमको यह मालूम हुआ कि उनको गोली मार दी गई है तो मुझे ही नहीं बल्कि राजस्थान की जनता को बहुत ही दुख का अनुभव हुआ और जो राजस्थान से बाहर के रहने वाले हैं उन सब महानुभावों को इस बात पर बड़ा क्षोभ महसूस हुआ और दुख सा लगा।

श्री ओमदत्त भाटी, वे भी विधायकपुरी में रहते थे। वे हमारे से घनिष्ट सम्बन्ध रखते थे और जब भी हमारे किसी को मामूली सा बुखार होता तो वे हमको बराबर सम्भाला करते थे और उनका अटूट प्रेम सभी विधायकों से रहा करता था।

श्री शीशराम पूनिया मेरे प्रवास के सामने वाले बंगले में ही रहा करते थे और उनका मेरे से काफी प्रेम था। हमेशा हम सामने सड़क के ऊपर खड़े हो कर बात करते, विचार करते थे और उनके दिल में हमेशा यह उमंग रहा करती थी कि राजस्थान का

(श्री विजयसिंह)

विकास हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो। वे एक महान विभूति थे, दबंग व्यक्ति थे जिनकी भी गोली से हत्या कर दी गई। यह समाचार सुनने से सभी को जिन्होंने अखबार को पढ़ा है, रेडियो को सुना है और लोगों से सुना, दुख हुआ।

अन्य तीन महानुभाव जसवन्तसिंह जी, श्री मौलाना मोहम्मद इब्राहिम और किशनारामजी, वे भी जब माननीय सदस्य रहे हैं तो अवश्य लोकप्रिय रहे हैं, मैं उनके बारे में अधिक नहीं जानता हूं, परन्तु मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी महानुभावों के परिवारों को इस गहन चोट को सहन करने की क्षमता प्रदान करे और इस महान दुख में जब कि हमारे सामने बैठे भाई खुश नजर आ रहे हैं, मैं सब से निवेदन करता कि इस दुख में हम सब दुख प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान विधान सभा के लिये यह वर्ष अत्यन्त दुखद रहा जिसमें इसने दो महीने में ही अपने तीन सदस्यों खो दिये। स्वर्गीय डॉ०ओमदत्त भाटी की मृत्यु के अतिरिक्त इस सदन के दो सदस्यों श्री शीशराम पूनिया एवं महाराजा श्रीसुमेरसिंह की हत्या विधान सभा के इतिहास में अत्यन्त ही दुखद एवं हृदय द्रावक घटना है।

महाराजा सुमेरसिंहजी की असामयिक मृत्यु सदन पर वज्रपात है। वे भूतपूर्व किशनगढ़ राज्य के शासक रहे। उनका जन्म 27 जनवरी, 1929 को जोरावरपुरा तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में हुआ। उन्होंने सीनियर केम्ब्रिज तक शिक्षा प्राप्त की और 1967 के आम चुनाव में वे विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय महाराजा सुमेरसिंह जी ने राजस्थान निर्माण में अपने राज्य को विलीन करके देश भक्ति का परिचय दिया। वे स्वभाव से सहृदय एवं शान्त, व्यवहार में सरल मिष्टभाषी एवं मिलनसार होने के कारण सदस्यों के प्रिय थे। वे राजकीय उपक्रम समिति के भी सदस्य थे जिसके कार्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वर्गीय महाराजा अजमेर तथा आबू क्लब के सदस्य थे और स्वाध्याय, चित्र कला, शिकार और संगीत में उनकी अपूर्व अभिरुचि थी। वह क्रिकेट और टेनिस के भी अच्छे खिलाड़ी थे। विधान सभा में उनके स्थान की सहज पूर्ति होना सम्भव नहीं है। उनसे मेरा भी निजी सम्पर्क एवं सरस सौहार्द्रपूर्ण मित्रता थी।

श्री शीशराम पूनिया चूरू जिले के राजगढ़ क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। श्री पूनिया उत्साही, कर्मठ एवं अपने क्षेत्र के युवक लोक प्रिय कार्यकर्ता थे। उन्होंने जिला परिषद्, चूरू के प्रमुख तथा अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक लि०, चूरू के पदों पर भी कार्य किया। विधान सभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावशील ढंग से रखते थे। वे राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य थे। इस नवयुवक कार्यकर्ता से राज्य के उत्तरी क्षेत्र को बहुत आशायें थीं। उनकी सनसनीखेज निर्मम हत्या से सदन को सदमा पहुंचा है।

स्वर्गीय डॉ० ओमदत्त भाटी 1967 के आम चुनाव में जोधपुर क्षेत्र से जनसंघ उम्मीदवार के रूप में विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए थे।

1928 में मेडिकल परीक्षा पास करने के पश्चात् श्री भाटी ने इंग्लैण्ड से डी० ए० आर०सी०एस० का डिप्लोमा तथा एस० एस० ए० आर० सी० की फेलोशिप प्राप्त की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में

(श्री अध्यक्ष)

अपनी योग्यता के ही कारण श्री भाटी 1958 से 1962 तक श्री लंका में स्वास्थ्य विशेषज्ञ नियुक्त हुए।

श्री भाटी अपने क्षेत्र में अत्यन्त लोकप्रिय थे। वे पूर्ण परिश्रम एवं लगन से अपने क्षत्र के नागरिकों की सेवा में अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक लगे हुए थे। विधान सभा में श्री भाटी ने अपने क्षेत्र का पूर्ण सफलता के साथ प्रतिनिधित्व किया। संयत भाषा में उनकी अभिव्यक्ति सुन्दर थी। स्वभाव से बड़े सरल एवं व्यवहार में मधुर डॉ० भाटी का सहयोग सदन के लिये स्मरणीय है। उनके निधन से हमने एक सुयोग्य एवं कर्मठ कार्यकर्ता खो दिया है।

श्री मौलाना मोहम्मद इब्राहिम प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिये भरतपुर के कामां निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे।

स्वर्गीय मौलाना ने नमक आन्दोलन में भाग लिया था। 1947 के साम्प्रदायिक दंगों की जांच के लिये उन्हें महात्मा गान्धी ने प्रतिनिधि नियुक्त किया था। आचार्य विनोबा द्वारा मेवात बसाने के आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। वे भरतपुर जिले के काश्तकार थे।

श्री जसवन्तसिंह : प्रथम राजस्थान विधान सभा में विरोधी दल के नेता श्री जसवन्तसिंह का जन्म दादूसर (बीकानेर) में 23 अक्टूबर, 1903 में हुआ था।

1928 में आप स्व० महाराजा, बीकानेर के उप-निजी सचिव नियुक्त हुये एवं तदनन्तर 1936 में उनके निजी सचिव बनाये गये।

1941 में ये बीकानेर के सार्वजनिक निर्माण मंत्री बने एवं 1942 तक कई विभागों के मंत्री रहे। 1948 में बीकानेर राज्य की प्रथम उत्तरदायी सरकार में आप मुख्य मंत्री बने। लोक सभा के निर्माण होने पर आप बीकानेर से लोक सभा के सदस्य बने। 1951 के व्यास मंत्री-मण्डल में मंत्री बने और प्रथम आम चुनावों तक इस पद पर रहे।

प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिये बीकानेर क्षेत्र से निर्वाचित हुवे। प्रथम राजस्थान विधान सभा में आप विरोधी दल के नेता रहे। श्री जसवन्तसिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं योग्य प्रशासक थे।

स्वर्गीय श्री किशनाराम द्वितीय राजस्थान विधान सभा के लिये रतनगढ़ क्षेत्र से निर्वाचित हुये थे। श्री किशनाराम साधारण किसान परिवार से थे परन्तु अपने क्षेत्र में की गई समाज सेवा के कारण वे लोकप्रिय थे। वे लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में सीकर एवं बीकानेर क्षेत्र से खड़े हुये थे किन्तु इसी बीच उनका देहान्त दिनांक 6 मार्च, 1971 को हृदयगति रुक जाने से हो गया।

सदन के नेता विरोधी दल के नेता एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो भावनायें प्रकट की गई हैं उनमें मैं भी अपनी भावनायें सम्मिलित करता हुआ मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मृत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनिट मौन खड़े रहकर प्रार्थना करें।

(दो मिनिट का मौन)

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4-55 म०प०, दिनांक 16 मार्च, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

राजस्थान के राज्यपाल, सरदार हुकुमसिंह का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

इस वर्ष के विधान सभा के प्रथम सत्र में मैं आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूं।

2. 1970-71 देश के लिये बड़ा ऐतिहासिक वर्ष रहा है। समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में इस वर्ष जो महत्वपूर्ण कदम उठाये वे सब आपके सामने हैं। देश की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोक सभा भंग की गई एवं मध्यावधि चुनाव हुए। प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान में ये चुनाव सभी स्थानों पर शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए।

3. पिछले कई वर्षों से राज्य के एक बड़े भाग में वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ा हुआ था। गत वर्ष भी दस हजार से अधिक गांव अकालग्रस्त थे और इन गांवों के 72 लाख व्यक्तियों को राहत देने हेतु कई सहायता कार्य चलाये जाते रहे एवं कई जिलों में विशेष निःशुल्क सहायता की व्यवस्था भी की गई। जहां पेय जल की समस्या अधिक थी वहां दूर-दूर से पानी ले जाने का प्रबन्ध किया गया। 1970-71 में राहत-कार्यों पर 47 करोड़ 60 लाख रुपये व्यय हुए। सौभाग्य से इस वर्ष राज्य के लगभग सभी भागों में अच्छी वर्षा हुई है। पर्याप्त वर्षा के कारण न केवल खरीफ की फसल गत वर्षों की अपेक्षा अच्छी रही है वरन् रबी की फसल भी अच्छी होने के आसार हैं। अनुमान है कि वर्ष 1970-71 में 76 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा जो अब तक का रिकार्ड-उत्पादन है। अनुकूल खाद्य स्थिति को देखते हुए खाद्य-नीति में आवश्यक परिवर्तन किये गये एवं राज्य से मोटे अनाज के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया।

4. इस वर्ष खाद्यान्न के रिकॉर्ड-उत्पादन के लिये जहां हम एक ओर अच्छी वर्षा के कृतज्ञ हैं वहां दूसरी ओर कृषि के आधुनिक उन्नत साधन, अधिक उपज देने वाले बीज एवं उर्वरकों के प्रयोग का योगदान भी महत्वपूर्ण है। कृषि-क्षेत्र में उन्नति के पथ पर निरन्तर अग्रसर रहना राज्य सरकार का मुख्य प्रयास रहा है। फसलों में लगी महामारी की रोकथाम के लिए 84 हजार हैक्टर में मुफ्त उपचार किये गये तथा 15 हजार हैक्टर में कीटनाशक दवाईयां मात्र आधी कीमतों पर वितरित की गई। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उर्वरकों के उपयोग में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत वर्ष लगभग 2 लाख 5 हजार टन उर्वरकों का वितरण किया गया था जबकि इस वर्ष 2 लाख 81 हजार टन वितरित किया गया है। चम्बल क्षेत्र में चावल की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसकी उन्नत किस्मों का प्रसार किया गया है। जहां 1966-67 में कुल ढाई-सौ हैक्टर में चावल बोया गया था वहां 1970-71 में 17 हजार हैक्टर क्षेत्रफल में चावल की खती की गई। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक 44 हजार हैक्टर क्षेत्र में भू-संरक्षण का कार्य सम्पन्न हो जायेगा। राज्य के कृषि उद्योग निगम द्वारा दो हजार ट्रेक्टर आयात किये गये उनमें से लगभग 1,600 वितरित भी किये जा चुके हैं। ट्रेक्टरों से चम्बल और इटावा क्षेत्र में कुछ भूमि को समतल किया गया

(सरदार हुकुमसिंह)

है। बेरोजगार स्नातक एवं डिप्लोमा-होल्डर इन्जीनियर्स को कार्य पर लगाने की दृष्टि से निगम ने अब तक लगभग 43 स्नातक और 65 डिप्लोमा-होल्डर्स को प्रशिक्षण दिलाया है तथा उनमें से अधिकांश को कृषि उत्पादन के कार्य पर नियुक्त भी किया जा चुका है।

5. जैसा कि मैं पहले भी निवेदन करता रहा हूं कि आज इस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है कि जिन व्यक्तियों के पास आज आजीविका के साधन नहीं हैं उनको साधन उपलब्ध कराये जायें एवं कम आय वाले लोगों की स्थिति में सुधार किया जावे। इसी दृष्टि से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था एवं राज्य सरकार ने समय समय पर ऐसे कदम उठाये कि इन बैंकों से जरूरतमन्द कृषकों को ऋण समय पर और आसानी से प्राप्त हो सके। यह लाभ छोटे कृषकों को भी मिले, इस हेतु राज्य सरकार ने उनको ऋण दिये जाने वाली सम्पूर्ण राशि की गारन्टी देने का निर्णय लिया था। किसानों को बैंकों से कृषि के लिये साधन उपलब्ध कराने हेतु ऋण दिलाने की दिशा में आशातीत सफलता मिली है। व्यावसायिक बैंकों द्वारा वर्ष 1970 के अन्त तक लगभग 4 करोड 38 लाख रुपये के ऋण दिये गये। इन्स्टीट्यूशनल क्रेडिट से संबंधित कृषि-विकास की कई योजनाएं भी तैयार करके कृषि पुनर्वित्त (रि-फाइनेन्स) एवं कृषि वित्त निगम को भेजी जा चुकी हैं जिनमें से 8 करोड़ 30 लाख रुपये की दस योजनायें स्वीकृत भी हो गई हैं एवं उन पर कार्य किया जा रहा है। एक विशेष उल्लेखनीय योजना 11.8 करोड़ रुपये की चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में एरिया डवलपमेंट के संबंध में है जिसकी निकट भविष्य में ही स्वीकृति होने की संभावना है। राजस्थान नहर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु विश्व बैंक के विचारार्थ एक योजना भी तैयार की जा रही है।

6. अलवर, भरतपुर एवं उदयपुर जिले में विकास एजेन्सियां कायम हो चुकी हैं जिनके माध्यम से छोटे कृषकों को सिंचाई भू-संरक्षण, बीज, पशु-धन आदि के लिए ऋण तथा अनुदान प्राप्त कराया जावेगा। इस हेतु चतुर्थ योजनाकाल में प्रत्येक जिले के लिए डेढ-डेढ करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इसी प्रकार भीलवाड़ा व अजमेर जिलों के मार्जिनल किसान व कृषि-श्रमिकों की भी एक-एक करोड़ रुपयों की योजनाओं के लिए आशा है कि भारत सरकार की स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त हो जावेगी। इन योजनाओं के अन्तर्गत कृषि से सम्बन्धित पेशे—जैसे पशुपालन, डेयरी, बगीचों आदि की सहायता से उन जोतों का अधिकतम उपयोग किये जाने का उद्देश्य है।

7. राज्य के सूखा-ग्रस्त इलाकों की समस्याओं के स्थायी हल निकालने की दृष्टि से दस जिलों के लिए चतुर्थ योजनाकाल में दो-दो करोड़ रुपयों की रूरल वर्क्स योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इनके अन्तर्गत अकाल में लिये गये—सड़क निर्माण, लघु-सिंचाई, वन, जलप्रदाय व भू-संरक्षण के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देकर पूरा किया जावेगा।

8. बढ़ती हुई बेरोजगारी सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत हर सम्भव प्रयत्न करना चाहती है। योजना के अन्तर्गत यह ध्यान

(सरदार हुकुमसिंह)।

रखा गया है कि अधिकाधिक लोगों को सरकार एवं बैंकों के माध्यम से ऋण आदि की सहायता मिले जिससे वे स्वयं के धन्धे खोल सकें। अभी हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारी को घटाने की दृष्टि से एक योजना स्वीकृत की है जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए प्राथमिकता उन परिवारों को दी जावेगी जिनमें अभी कोई भी व्यक्ति नहीं कमा रहा है। इस योजना के लिए लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये का प्रावधान है।

9. राज्य में इस समय विभिन्न प्रकार की 18 हजार 550 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं जिनमें से 8 हजार 42 कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां हैं। राज्य के कुल गांवों में से 92 प्रतिशत गांव एवं 41 प्रतिशत कृषक परिवार 30 जून, 1970 तक राजस्थान सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत आ चुके हैं। वर्ष 1971-72 के अन्त तक 94 प्रतिशत गांवों को तथा 44 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक का लक्ष्य शत-प्रतिशत गांवों को सहकारिता के अन्तर्गत लाने का है। सहकारी वर्ष 1969-70 में कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों ने अपने सदस्यों को 13 करोड़ 95 लाख रुपये अल्प एवं मध्यमकालीन तथा वर्ष 1970-71 में 20 करोड़ 50 लाख रुपये वितरित किये हैं दीर्घकालीन ऋण की मात्रा वर्ष 1969-70 में 3 करोड़ 79 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1970-71 में 4 करोड़ रुपये हो गई है। प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का विलीनीकरण एवं दृढ़ीकरण कार्यक्रम इन समितियों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम इकाइयां बनाने के उद्देश्य से चालू किया गया तथा इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप अब ऐसी समितियों की संख्या 12 हजार 457 से घटकर कार्यक्रम समाप्ति पर 7 हजार 425 रह जावेगी। इस वर्ष के अन्त तक यह कार्यक्रम पूर्ण हो जावेगा। सहकारिता क्षेत्र में गुलाबपुरा में एक स्पिनिंग मिल 121 लाख रुपये की लागत से स्थापित की जा रही है तथा कुछ ही महीनों में यह मिल चालू हो जावेगी। इस मिल से स्थानीय कृषकगण तथा बुनकर परिवारों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा और कपास की खेती में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है। विशेषरूप से शहरी कस्बों में आवासीय गृहों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सहकारिता के आधार पर गृह निर्माण का एक विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन-जातियों को विशेष लाभ होगा।

10. जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान नहर राज्य के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है और इसके प्रथम चरण एवं लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य प्रगति पर है। मुख्य नहर के प्रथम 80 मील का कार्य पूरा हो चुका है तथा 80 के बाद 122 मील तक का शेष कार्य भी प्रगति पर है। नौरंगदेसर, रावतसर, जोरावरपुरा, खोदान, खेतावली, थेतर व कनौर वितरक नहरों तथा सूरतगढ़ शाखा का कार्य लगभग पूर्णरूपेण एवं अनूपगढ़ शाखा का कार्य लगभग 80 प्रतिशत हो चुका है। इसके अतिरिक्त सरदारपुरा, चुली, जसामाटी,

(सरदार हुकुमसिंह)

सोमासर व मोजेवाली वितरक नहरों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। गंगानगर जिले में जून व जुलाई में भयंकर आंधियों के चलने से अधिकांश नहरों में रेत भर जाती है जिसको हटाना आवश्यक हो जाता है। आंधी के समय रेत को इन नहरों में गिरने से रोकने की दृष्टि से टीलों पर व नहर के पास रक्षा-पंक्ति तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग एक करोड़ रुपये के वृक्षारोपण के कार्य किये जा रहे हैं।

11. राजस्थान नहर द्वारा 1969-70 में लगभग 1 लाख 38 हजार हैक्टर भूमि में सिंचाई हुई थी तथा इस वर्ष 1 लाख 80 हजार हैक्टर भूमि में सिंचाई किये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति की सम्भावना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 7 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है तथा परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु राज्य सरकार ने विशेष प्रावधान एवं धनराशि की उपलब्धि हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

12. व्यास बहुद्देशीय परियोजना के लिए राजस्थान राज्य के अंश के रूप में 1970-71 में 12 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान है। राजस्थान व गुजरात राज्यों में माही नदी के पानी को उपयोग में लाने हेतु माही परियोजना का कार्य भी चालू है और इससे राजस्थान में 30 हजार हैक्टर भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

13. राणा प्रतापसागर का निर्माण कार्य 1970 में पूर्ण हो चुका है। इसकी चारों इकाइयों की विद्युत् उत्पादन-क्षमता 172 मेगावाट है। 146 फीट ऊंचे जवाहरसागर बांध का निर्माण-कार्य भी चालू है और इसकी तीन इकाइयों में से 33 मेगावाट की एक इकाई सम्भवतः अक्टूबर, 1971 से चालू हो जावेगी। चम्बल विद्युत्-संचार योजना के द्वितीय चरण में 700 मील लम्बी ट्रान्समीशन लाईन निर्मित हो चुकी है। भाखरा नहरों का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है और गुड़गांव नहर परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इसमें यमुना नदी के पानी से भरतपुर जिले में भी सिंचाई हो सकेगी।

14. चम्बल नदी घाटी योजना के अन्तर्गत कोटा बैराज व बांई तथा दांई नहरों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य जैसे सीपेज की समस्या को हल करना, नाले बनाना, बैराज के नीचे की ओर के रक्षा-कार्य, नहरों को पक्का करने आदि कार्य भी चालू हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1 लाख 52 हजार हैक्टर भूमि में सिंचाई सम्भवत हो सकेगी।

15. वृहत् योजनाओं के अतिरिक्त मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं की प्रगति भी सन्तोषजनक रही है। चालू वर्ष में आठ मध्यम योजनाओं पर मुख्य कार्य पूरा किया जा चुका है और अंगोर, गोपालपुरा, भीमसागर एवं मेजा फीडर पर भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 84 लघु योजनाओं में से 31 पर कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाओं की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। सन् 1970-71 में 53

(सरदार हुकुमसिंह)

निर्माणाधीन योजनाओं एवं 43 नयी योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

16. मरुस्थलीय राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा भूमिगत जल का विशेष महत्व है। राजस्थान भू-जल मण्डल ने पहले भी इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है और अब भी निरन्तर जुटा हुआ है। चालू वर्ष में 3513 कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा किया गया जिनसे लगभग 3 हजार हैक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हो सकेगी। 21 कुओं में बोरिंग किया गया तथा 85 नल-कूप बनाये गये। मारवाड़-छाबड़ी में लगभग एक हजार वर्ग किलोमीटर में फैले भू-जल भण्डार का पता लगा है। जैसलमेर जिले में भी लाठी-चांदण क्षेत्र में ऐसे ही जल-भण्डार मिले हैं। इस क्षेत्र में चरागाहों का विकास करने एवं कृषि के लिए 75 नल-कूप बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसलमेर व बाड़मेर के सीमान्त क्षेत्रों में में भी भू-जल भण्डारों का पता लगाया गया है।

17. शहरों की बढ़ती हुई आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से चालू वर्ष के अन्त तक 22 नगरीय जल-प्रदाय योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। उदयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ एवं सीकर जल-प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है और जयपुर में भी कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। अब केवल 9 नगर ऐसे शेष रहे हैं जिनके लिए योजनाबद्ध पेयजल की व्यवस्था चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के शेष वर्षों में की जानी है। अकाल राहत-कार्यों के अन्तर्गत भी पेयजल के लिए 4 करोड़ रुपये व्यय किये गये और पेयजल की स्थायी व्यवस्था के प्रयास किये गये हैं। पेयजल की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। क्योंकि राजस्थान में भूमिगत जल अक्सर खारा व बहुत गहराई पर है। इन सब कठिनानाइयों के उपरान्त भी 299 ग्रामीण योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 1971-72 में 35 अतिरिक्त ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने का कार्यक्रम है। इस सम्बन्ध में बांका-पट्टी में फ्लोराइड रहित स्वच्छ पेयजल की योजना उल्लेखनीय है क्योंकि इस योजना से हड्डियों के लिए हानिकारक जल से यहां के निवासियों को छुटकारा मिल सकेगा।

18. शिक्षा व्यवस्थाओं के विस्तार एवं उपलब्ध साधनों को सुदृढ करने की दिशा में राज्य सरकार प्रयत्नशील है। चालू वर्ष में राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार हेतु 20 नवीन प्राथमिक शालायें खोली गई। प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने की दृष्टि से कुछ वेतनमानों में सुधार और प्रधानाध्यापकों की संख्या में वृद्धि की गई है। इस वर्ष में 65 स्थानों पर उच्च माध्यमिक शालायें खोली गई राज्य शिक्षण संस्थान, विज्ञान संस्थान तथा मूल्यांकन इकाई का पुनर्गठन कर एक राज्य शिक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया जा रहा है और शिक्षा के स्तर को उन्नत करने तथा शैक्षणिक प्रयोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। राजस्थान में कार्यानुभव योजना, शाला संगम योजना, आन्तरिक मूल्यांकन योजना तथा विज्ञान शिक्षा को उन्नत करने के सम्बन्ध में महत्व-पूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य में संस्कृत शिक्षा के प्रसार तथा उसके उच्चस्तर को बनाये रखने की दृष्टि से राज्य सरकार ने इसी वर्ष से विश्वविद्यालय में एक अलग

(सरदार हुकुमसिंह)

संस्कृत संकाय की स्थापना की है। शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न आयुवर्गों में स्कूल में जाने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़कर 6 से 11 वर्ष तक में 58.1, 11 से 14 वर्ष तक में 26.1 तथा 14 से 17 वर्ष तक में 12.0 प्रतिशत होने का अनुमान है।

19. चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों व चिकित्सालयों में इस वर्ष 214 अतिरिक्त शय्यायें बढ़ाई गई हैं तथा कई अस्पतालों का उच्चीकरण भी किया गया है। जिन जिलों की जनसंख्या 1961 में 8 लाख से अधिक थी उनके मुख्यालयों पर स्थित अस्पतालों की रोगी शय्याओं की संख्या 150 एवं अन्य जिला मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों की रोगी शय्याओं की संख्या 100 कर देने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया जा चुका है। अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का 50 प्रतिशत सरकार एवं 50 प्रतिशत जन सहयोग द्वारा प्राप्त करने की योजना को भी प्रोत्साहन दिया गया है। पिछड़े हुए क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों के दोनों अस्पतालों में रोगी शय्याओं की संख्या 150-150 ही रखी गई है। ग्रामीण जनता को शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाइयों का विस्तार अजमेर और उदयपुर में भी कर दिया गया है इन इकाइयों के द्वारा मेडिकल कालेजों के विशेषज्ञों की सेवायें ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी जो कि इस राज्य में आधुनिक चिकित्सा-सुविधाओं के विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। राज्य में होम्योपैथिक बोर्ड का भी गठन मई, 1970 में हो चुका है।

20. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 में माह जनवरी, 1971 तक लगभग 24 हजार वन्ध्यकरण ऑपरेशन तथा 13 हजार लूप लगाये जा चुके हैं।

21. जहां प्रकृति इस राज्य को जल के साधनों को उपलब्ध कराने में मितव्ययी रही है, वहां खनिज पदार्थ के सम्बन्ध में अत्यन्त उदार है। इसका प्रमाण निरन्तर सर्वेक्षणों से राज्य के अनेक भागों में विशाल खनिज भण्डारों का मिलना है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा इन भण्डारों को खोज निकालने के प्रयत्न जारी हैं। रॉक फॉस्फेट का भण्डार जो मिला है उसका सघन पर्वेक्षण का कार्य चालू रहा और एक सीमित क्षेत्र में 1 करोड़ 70 लाख टन का भण्डार प्रमाणित किया जा चुका है। इस भण्डार से लगभग 800 टन खनिज प्रतिदिन निकाला जा रहा है। रॉक फॉस्फेट के विक्रय से इस वर्ष के अन्त तक लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये की आमदनी का अनुमान है। आगामी वर्ष में पन्द्रह सौ टन खनिज प्रतिदिन निकालने का लक्ष्य है। यह कर भिन्न आय का एक उत्तम व गतिशील स्त्रोत सिद्ध हो रहा है। सीमेण्ट बनाने के पत्थर के प्रचुर भण्डार राज्य के विभिन्न स्थानों पर प्रमाणित होने के कारण सीमेन्ट उद्योग को बढ़ावा मिलने की सम्भावनाएं हैं। उदयपुर जिले में नवस्थापित सीमेण्ट कारखाने में उत्पादन शुरु हो गया है। टंगस्टन की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हुई है और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। चालू वर्ष में सरकार को खनिजों से 2 करोड़ 84 लाख रुपयों की शुद्ध आय होने का अनुमान है।

22. राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु दी जा रही सहायताओं एवं

(सरदार हुकुमसिंह)

सुविधाओं का राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया गया है जिनके विकास हेतु सस्ती दर पर ऋण-व्यवस्था औद्योगिक विकास बैंकों के माध्यम से की गई है एवं इन जिलों को अन्य जिलों की अपेक्षा अतिरिक्त सुविधायें दी गई हैं। ई० सी० जी० पेपर जो अब तक आयात किया जाता था वह अब राज्य में में ही बनने लगा है। राज्य में तीव्र गति से औद्योगिक विकास के लक्ष्य को सामने रख कर राज्य सरकार अधिकतम उद्योगों एवं फैक्ट्रियों की स्थापना का प्रयास कर रही है और राज्य में स्कूटर संयंत्र तथा ट्रेक्टर संयंत्र लगाने के प्रयत्न जारी हैं। वनस्पति घी के तीन संयंत्र जयपुर में व एक-एक उदयपुर व चित्तौड़ में लगाने के अनुज्ञा-पत्र केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो चुके हैं तथा संयंत्रों के शीघ्र ही स्थापित होने की सम्भावना है।

23. गंगानगर शुगर मिल में लगभग 82 लाख रुपयों की लागत से बीट-कम-केन डिफ्यूजन संयंत्र लगाया जा चुका है जिससे शक्कर के उत्पादन में वृद्धि होगी। आगामी वर्ष इससे लगभग 12 हजार क्विंटल शक्कर का उत्पादन हो सकेगा। हाई टेक प्रीसीजन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर के अक्टूबर, 1970 में पुनः चालू हो जाने से इस पिछड़े हुए क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सका है। डीडवाना में सोडियम सल्फेट का नया संयंत्र फरवरी, 1971 से चालू हो गया है तथा इससे लगभग 40 लाख रुपये के मूल्य का सोडियम सल्फेट प्रतिवर्ष उत्पादित किया जा सकेगा। टोंक में लेदर टेनरी लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त हो गया है।

24. शहरों में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आबादी के कारण आवास-गृहों की जटिल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने आवासन निगम की स्थापना की। प्रारम्भ में निगम द्वारा अजमेर, जोधपुर, जयपुर कोटा एवं उदयपुर में अल्प आय वाले व्यक्तियों के लिये 428 व मध्यम आय वाले व्यक्तियों के लिए 85 निर्मित गृह उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

25. समाज कल्याण कार्यों के अन्तर्गत अनाथाश्रम, बालगृह, शिशुगृह, परिवीक्षा सेवा, महिला सदन, स्वागत आश्रम, वृद्ध एवं अशक्त गृह बनाने तथा वृद्धा- पेन्शन देने आदि की व्यवस्था की गई। पिछड़े वर्गों के छात्रों को एवं भिक्षुकों को उद्योग धन्धे उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में सिलाई, बढ़ईगिरी, चर्म उद्योग आदि के प्रशिक्षण केन्द्र एवं सदन चलाये जा रहे हैं। राजस्थान ऐसा प्रथम राज्य है जहां पर बाल अधिनियम लागू किया जा रहा है। पिछले वर्ष राजस्थान में विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये साढ़े बारह प्रतिशत स्थान सुरक्षित थे। उनकी जनसंख्या के आधार पर अब लगभग सभी सेवाओं में यह प्रतिशत बढ़ा कर 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 11 प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति के लिये कर दिया गया है।

26. राज्य सरकार द्वारा भाषा-जात अल्पसंख्यकों को विभिन्न भाषायी प्रशिक्षण की सुविधाएं शिक्षा विभाग द्वारा दिलाई जा रही हैं। समय-समय पर यह आदेश जारी

Page No.16

(सरदार हुकुमसिंह)

किये गये हैं कि सिंधी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती भाषाओं को तीन भाषा सूत्रीय योजनाओं के अन्तर्गत लिया जाय तथा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक इन भाषाओं को पढ़ने व पढ़ाने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। ये सुविधायें विभिन्न जिलों में निर्धारित योजनानुसार दी जाती हैं ताकि अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों को अपने सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रसर होने का अवसर मिलता रहे। भविष्य में अधिक से अधिक छात्रों को समुचित मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराने, अधिक अध्यापकों की नियुक्ति करने व विभिन्न राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में इन भाषाओं में शिक्षण स्तर ऊंचा उठाने के लिए और अधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

27. राज्य की कुल 146 नगर-पालिकाओं में से 130 के चुनाव अक्टूबर, 1970 में सम्पन्न हो चुके हैं एवं निर्वाचित मण्डलों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

28. राज्य में विकास की गति को बनाये रखने हेतु चालू वर्ष में 56 करोड़ 23 लाख रुपये की वार्षिक योजना पर कार्य चल रहा है। इसमें से 35 करोड़ 67 लाख रुपये अर्थात् 63 प्रतिशत सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं पर जिनको कि उच्चतम प्राथमिकता दी गई है, पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। विकास की गति में तीव्रता, कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं विभिन्न सामाजिक सेवाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। वर्ष 1969-70 पूर्वानुमानों के अनुसार राज्य की आय 1968-69 की तुलना में 7.92 प्रतिशत बढ़ी है अर्थात् 606 करोड़ से बढ़कर 654 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी अवधि में वर्ष 1954-55 पर आधारित प्रति व्यक्ति आय 256 रुपये से बढ़कर 264 रुपये हो गई जोकि 3.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 1970-71 में अनुमान है कि राज्य की आय गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक होगी।

29. राज्य के पूर्वी जिलों में पुलिस ने अपने सक्रिय प्रयासों से डाकुओं पर अधिकाधिक काबू पाया है व कई एक मुकाबलों में डाकुओं का सफाया करके अपहृत व्यक्तियों को मुक्त कराया है। इन मुकाबलों में 27 डकैत मारे गये, 109 को बन्दी बनाया गया तथा एक डकैत ने आत्म-समर्पण किया।

30. भूमिहीनों को भूमि का आवंटन, काश्तकारों तथा ग्रामीण जनता के आर्थिक विकास एवं उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की ओर सरकार का ध्यान हमेशा रहा है। पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के भूमिहीनों को 1 सितम्बर, 1969 से 14 नवम्बर, 1970 तक चलाये गये गांधी शताब्दी विशेष अभियान के अन्तर्गत 1 लाख 20 हजार हैक्टर भूमि 79 हजार 600 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के भूमिहीनों को आवंटित की गई। भविष्य के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे इस जाति के लोगों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जावे, इस हेतु आदेश दिये गये हैं कि मई, 1971 तक जो भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हो उसका 50 प्रतिशत, इन जातियों के लोगों में ही आवंटन किया जावे।

31. सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि देने में विशेष प्राथमिकता की

(सरदार हुकुमसिंह)

ओरभी राज्य सरकार सदैव सजग रही है। भूमि आवंटन नियमों में विकलांग एवं मृत सैनिकों के आश्रितों को सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई है। अब तक राज्य सरकार द्वारा सेवारत एवं सेवा-निवृत्त सैनिकों को लगभग 28 हजार हैक्टर भूमि आवंटित की गई है और इस वर्ष विशेषरूप से सेवा-निवृत्त सैनिकों के लिए आदेश प्रसारित किये हैं कि मई, 1971 तक आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि में से 35 प्रतिशत भूमि केवल ऐसे ही लोगों को आवंटित की जावे।

32. भूमि की अधिकतम निर्धारित सीमा सम्बन्धी प्रावधानों को एक निर्धारित अवधि में क्रियान्वित करने की दृष्टि से जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं, कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल, 1971 के अन्त तक अधिगृहीत भूमि का कब्जा लिया जाकर मई, 1971 तक उक्त भूमि को आवंटित कर दिया जावे। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन किये थे। काश्तकारों को इन प्रावधानों का उचित लाभ मिल सके इस दृष्टि से यह भी आदेश जारी किये हैं कि इन संशोधित प्रावधानों के अनुसार जो हस्तान्तरण वैध पाये जाते हों उनकी भू-अभिलेख में नामान्तरकरण द्वारा सही स्थिति दर्ज करली जावे। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 53 व 54 के अन्तर्गत जोतों के विभाजन पर प्रतिबन्ध लगे हुए हैं, इन प्रावधानों के अनुसार जोतों का विभाजन ऐसी सूरत में वर्जित है जबकि विभाजन से जोतों का क्षेत्रफल न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र से कम हो जाता हो। राज्य सरकार ने इस समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में संशोधन कर एक अन्य धारा 54-ए की प्रविष्टि की है। इस संशोधन के उपरान्त यह आदेश भी प्रसारित किये हैं कि यदि बंटवारा एवं उत्तराधिकारी द्वारा जोत का इस प्रकार विघटन हो कि उस जोत का क्षेत्र न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र से कम होता हो तो भी नामान्तरकरण द्वारा उत्तराधिकारी के नाम दर्ज किये जावें।

33. ग्रामीणों के आवास हेतु कृषि भूमि के उपयोग की जटिल समस्या के निराकरण हेतु नियम प्रसारित किये जा चुके हैं जिनके अनुसार खातेदार किसान अपनी कृषि भूमि पर रिहायशी मकान बनाने हेतु नियमानुसार सुविधा उपलब्ध कर सकेगा। इसी दृष्टिकोण से राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 66 के अन्तर्गत लगाये गए प्रतिबन्धों में भी कुछ रियायतें इस वर्ष दी गई हैं। गैर-खातेदार कृषकों को अपनी जोत के विकास हेतु ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसे संशोधन किये गये हैं कि अब वह बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु अपनी जोत को रहन रख सकेगा। इस वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण काश्तकारों से बकाया लगान वसूली के सम्बन्ध में प्रक्रिया जो निर्धारित की है उसके अनुसार किसी भी काश्तकार को दो वर्षों से अधिक का लगान एक साथ नहीं देना पड़ेगा तथा इसी प्रकार पंचायत समितियों एवं अन्य जिलों की वसूली में भी केवल दो किश्तें एक साथ ली जावेंगी जिससे किसानों पर वहन करने की क्षमता से अधिक भार नहीं पड़े। भाखरा, राजस्थान नहर परियोजना एवं चम्बल परियोजना के जिन क्षेत्रों में नहरों का पानी पहले नहीं मिला है और

Page No.18

(सरदार हुकुमसिंह),

न आगे मिलने की संभावना थी, उन्हें कोलोनी क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है ताकि वहां के कृषकों को खातेदारी अधिकार मिल सके। ऐसे काश्तकारों से मालकाना कर भी लेना स्थगित कर दिया गया है।

34. इस सत्र का मुख्य कार्य जिसके लिये आपको आमन्त्रित किया गया है, वह आगामी वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना है। मुझे विश्वास है कि आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करते समय आप राज्य के चहुंमुखी विकास का ध्यान रखेंगे जिसके लिये हम सभी कटिबद्ध हैं। राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन अध्यादेश, 1970, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1971, राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1971, राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1971, एवं तत्सम्बन्धी विधेयक तथा सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 1971, आपके समक्ष विचार-विमर्श एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी।

35. जनहित में आप सबका सदैव की भांति पूर्ण सहयोग प्राप्त हो तथा आपके विचार-विमर्श में सफलता मिले यही मेरी कामना है।

–: जय हिन्द :–

———